

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 484]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 6 सितम्बर 2018—भाद्र 15, शक 1940

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2018

क्र. एफ-35-167-2017-दो-सी-1.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 35-116-2001-सी-एक, दिनांक 5 मार्च 2003 को निरस्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंजू पवन भदौरिया, उपसचिव.